जनपद गाजियाबाद	प्रेस नोट	दिनांक 02.08.2022

थाना लोनी बोर्डर पुलिस द्वारा एक अभि0 को पुलिस मुठभेड़ के दौरान किया गिरफ्तार। कब्जे से एक अदद नाजायाज तमन्चा 315 बोर व एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर एवं घटना मे प्रयुक्त एक अदद मोटर साईकिल यामाहा R15 **बरामद हुआ।**

श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद श्री मुनिराज जी0 के कुशल निर्देशन एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी लोनी महोदय जनपद गाजियाबाद व थाना प्रभारी लोनी बार्डर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान, चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन व तलाश वांछित अपराधी के दौरान थाना लोनी बार्डर पुलिस द्वारा दिनांक 01.08.022 को समय करीब 22.58 बजे मूबी मैजिक रोड लालबाग बन विभाग का जंगल से पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक अभि0 शराफत पुत्र बुंन्दू खां नि0 अनमोल होटल के पास अनमोल होटल वाली गली वजीराबाद थाना बजीराबाद दिल्ली को एक अदद नाजायाज तमन्चा 315 बोर व एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर एवं घटना मे प्रयुक्त एक अदद मोटर साईकिल यामाहा R15 न0 DL10SS8817 बरामद हुई। मुठभेड के दौरान गिरफ्तार अभियुक्त का एक साथी रबि धोबी मौके से जंगल मे अँधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा।

अभि0 से पूछताछ करने पर अभि0 द्वारा बताया गया कि साहब मै और मेरा साथी इसी मोटर साइकिल का इस्तेमाल छीनेती/लूट करने मे करते है। पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से गोली चलाने के सम्बन्ध में पूछा तो बताया कि हमारे पास चोरी की मोटरसाईकिल व तमंचा था इसलिए हम पुलिस को देखकर डर गये थे इसीलिए बचने के लिए हमने गोली चलायी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

1- शराफत पुत्र बुंन्दू खां नि0 अनमोल होटल के पास अनमोल होटल वाली गली वजीराबाद थाना बजीराबाद दिल्ली उम्र करीब 44 वर्ष

फरार अभियुक्त का विवरण

रबि धोबी पुत्र अज्ञात नि0 आर्यनगर थाना लोनी बोर्डर गाजियाबाद (भागा हुआ)

अभियुक्त शराफत का आपराधिक इतिहासः-

1- मु0अ0सं0 528/022 धारा 307/504(पु0मु0) भादवि थाना लोनी बार्डर जनपद गाजियाबाद।
2- मु0अ0सं0 529/22 धारा 3/25/27 आर्म एक्ट थाना लोनी बार्डर गा0बाद।
3- मु0अ0सं0 402/20 धारा 356/379/34 थाना सफदरगंज एन्कलेव
4- मु0अ0सं0 30312/19 धारा 379/411/34 भादवि0 थाना जाफराबाद दिल्ली ।
5- मु0अ0सं0 12599/21 धारा 379/411 भादवि0 थाना डीबीजी रोड सेन्टरल दिल्ली ।
6- मु0अ0सं0 3874/21 धारा 379/411 भादवि0 थाना डीबीजी रोड सेन्टरल दिल्ली ।
7- मु0अ0सं0 36797/19 धारा 379 भादवि0 थाना प्रसादनगर सेन्टरल दिल्ली ।
8- मु0अ0सं0 11442/21 धारा 379 भादवि0 थाना गुलाबीबाग सेन्टरल दिल्ली ।
9- मु0अ0सं0 27879/20 धारा 379/411 भादवि थाना मोतीनगर दिल्ली ।
10- मु0अ0सं0 528/18 धारा 328/393 भादवि थाना मुरादाबाद ।
11- मु0अ0सं0 466/19 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना लोनी गा0बाद।
12- मु0अ0सं0 570/22 धारा 398/411/401/414 थाना लोनी गा0बाद।
13- मु0अ0सं0 572/22 धारा 4/25 आर्म एक्ट थाना लोनी गा0बाद।

अभियुक्त रवि धोबी का आपराधिक इतिहासः-

1- मु0अ0सं0 528/022 धारा 307/504(पु0मु0) भादवि थाना लोनी बार्डर जनपद गाजियाबाद।

अभियुक्त शराफत से बरामदगी का विवरण-

1. एक तमंचा 315 बोर मय दो जिन्दा कारतूस व एक खोखा कारतूस 315 वोर।

गिरफ्तार करने वाली टीम –

1- उ0नि0 श्री सौरभ कुमार थाना लोनीबार्डर गा0बाद।
2- उ0नि0 श्री सचिन कुमार थाना लोनी बोर्डर गा0बाद ।
3- उ0नि0 श्री सतेन्द्र यादव थाना लोनीबोर्डर गा0बाद
4- हे0का01563 अरविन्द थाना लोनी बोर्डर गा0बाद।
5- का0 1149 संदीप यादव थाना लोनी बोर्डर गा0बाद।
6- का0 1638 राजेश कुमार थाना लोन बोर्डर गा0बाद।

थाना इन्दिरापुरम क्षेत्र मे मोबाइल छीन कर भाग रहे व्यक्ति को मय छीना गया मोबाइल सहित गिरफ्तार

कार्यवाही:**श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के कुशल निर्देशन मे व पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय महोदय के कुशल नेतृत्व मे तथा क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय महोदय के कुशल पर्यवेक्षण मे अपराध व अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे उस समय सफलता प्राप्त हुई जब दिनांक 01.07.2022 को थाना इन्दिरापुरम क्षेत्र मे वसुन्धरा सै0 10सी मंदिर के पास से वसुन्धरा सै0 10 सी निवासी वंदना मैहतो का मौबाइल छीन कर भाग रहे अभियुक्त मौहम्मद आमिर कुरेशी को दिनाक 1.08.22 को शाम के समय वसुन्धरा सै0 10 सी मे ही लूटा गया मोबाइल व अभियुक्त द्वारा घटना मे प्रयुक्त स्कूटी सहित मौके पर ही गिरफ्तार किया गया .**

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः–

1- मोहम्मद आमिर कुरेशी पुत्र आस मुहम्मद निवासी गली नराशिद अली गेट लोनी 0-2

अभियुक्तगणो से बरामदगी का विवरणः–

01 रैडमी मोबाइल

घटना मे प्रयुक्त स्कूटी

आपराधिक इतिहास अभियुक्त मौ0 आमिर कुरेशी

1- मु0अ0स0 954/22 धारा 392,411 आईपीसी थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद .
2- मु0अ0स0 100/22 धारा 392 आईपीसी थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद
3- मु0अ0स0 897/22 धारा 392 आईपीसी थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद

अभियुक्तगणो को गिरफ्तार करने वाली टीमः—

1. उ0नि0 यतेन्द्र कुमार थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद
2. है0का0 912 हंसराज थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद

क्राईम ब्रान्च जनपद गाजियाबाद द्वारा 01 शातिर लुटरे को 01 तमंचा व 01 जिंदा कारतूस .315 बोर सहित गिरफ्तार।

जनपद में लूट की वारदातों पर अंकुश लगाने व उनकी गिरफ्तारी हेतु श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद गाजियाबाद द्वारा निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक, अपराध व क्षेत्राधिकारी अपराध के निकट पर्यवेक्षण में क्राइम ब्रान्च जनपद गाजियाबाद लगातार लुटेरों के विरूद्ध कार्यवाही कर रही थी।

इसी क्रम में आज दिनांकः 01.08.2022 को क्राइम ब्रान्च जनपद गाजियाबाद को नन्दग्राम क्षेत्र में सूचना मिली कि 01 लुटेरा राहजन से लूट करने के उद्देश्य से नंदीग्राम गौशाला के पास आने वाला है। इस सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए शातिर लुटेरे को गिरफ्तार करने में क्राइम ब्रान्च को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। पकड़े गये लुटरे के कब्जे से 01 अद्द तमंचा व 01 जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ है।

पूछताछ का विवरण :—

पूछताछ करने पर लुटेरे ने बताया कि मैं अपने खर्चे व शौक पूरा करने के लिए किसी एकान्त स्थान पर राहजन को रूकवाकर, उन्हें हथियार का भय दिखाकर उनसे लूट कर लेता हूं। अभियुक्तगण काफी शातिर किस्म के अपराधी हैं।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण :—

1. मुरशलीन पुत्र दिन्ना निवासी पुरवालियान थाना मंसूरपुर जनपद मुजफ्फरनगर

बरामदगी :—

1. 01 अद्द तमंचा .315 बोर
2. 01 जिंदा कारतूस .315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :—

1. प्रभारी निरीक्षक श्री अब्दुर रहमान सिद्दकी स्वाट टीम गाजियाबाद
2. निरीक्षक श्री अरूण कुमार मिश्रा स्वाट टीम गाजियाबाद
3. है0कां0 117 बालेन्द्र स्वाट टीम गाजियाबाद
4. है0कां0 1495 अनुज कुमार स्वाट टीम गाजियाबाद
5. कां0 2554 मनोज कुमार स्वाट टीम गाजियाबाद
6. कां0 2355 नीरज कुमार स्वाट टीम गाजियाबाद
7. कां0 131 मनोज कुमार स्वाट टीम गाजियाबाद
8. कां0 1363 मनीष कुमार स्वाट टीम गाजियाबाद

है0कां0 सहचालक मुरशान अली स्वाट टीम गाजियाबाद

थाना कविनगर द्वारा अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया कब्जे से एक किलो 200 ग्राम गांजा नाजायज बरामद

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद द्वारा मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर, श्रीमान क्षेत्राधिकारी कविनगर के कुशल निर्देशन में गठित टीम द्वारा दिनांक 01.08.2022 को समय 22.00 एएलटी फ्लाईओवर के पास थाना कविनगर क्षेत्र से चैकिंग के दौरान नीरज पुत्र वलदेव सिंह उर्फ वल्ले सिंह निवासी ग्रांम वदनोली थाना कोतवाली हापुङ जनपद हापुङ को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से एक किलो 200 ग्राम गांजा नाजायज बरामद हुआ ।अभियुक्त के विरूद्ध थाना कविनगर पर मु0अ0सं0 1005/2022 धारा 8/20 NDPS ACT पंजीकृत किया गया ।

अपराध कारित करने का तरीकाः-

अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है जो अवैध गांजे की तस्करी कर अवैध धन अर्जित करता है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त -

नीरज पुत्र वलदेव सिंह उर्फ वल्ले सिंह निवासी ग्रांम वदनोली थाना कोतवाली हापुङ जनपद हापुङ उम्र करीब 38 वर्ष।

बरामदगी का विवरण -

एक किलो 200 ग्राम गांजा नाजायाज।

अभियुक्त आदित्य सिंह का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 1005/22 धारा 8/20 NDPS Act थाना कविनगर गाजियाबाद ।
2. मु0 अ0 स0 4029/2022 धारा 379 भादवि दिल्ली।
3. मु0 अ0 स0 421/2019 धारा 379 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद।
4. मु0अ0सं0 933/22 धारा 379 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद।
5. मु0अ0सं0 917/2022 धारा 379 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद।
6. मु0अ0सं0 910/2022 धारा 379 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद।
7. FIR न0 32486/19 धारा 379 भादवि क्राईम ब्रान्च दिल्ली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 विनोद कुमार पाण्डेय थाना कविनगर गाजियाबाद ।
2. का0 1582 दीपक थाना कविनगर गाजियाबाद

का0 1326 प्रवीन कुमार थाना कविनगर गाजियाबाद।

थाना मसूरी पुलिस द्वारा 1 किलो 300 ग्राम नाजायज गांजा सहित 01 नफर गिरफ्तार

दिनांकः- 02.08.2022

कार्यवाहीः- श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद श्री मुनिराज द्वारा नशीले पदार्थो की तस्करी करने वाले अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डा0 श्री ईरज राजा के कुशल निर्देशन तथा सहायक पुलिस अधीक्षक / क्षेत्राधिकारी सदर श्री आकाश पटेल के पर्यवेक्षण में दिनांक 02.08.2022 को प्रभारी निरीक्षक रविन्द्र चन्द्र पन्त थाना मसूरी गाजियाबाद व उनकी टीम को उस समय सफलता मिली जब दौराने गस्त / चैकिंग मुखबिर खास की सूचना पर उ0नि0 श्री शिवमंगल सिंह व उनकी टीम द्वारा गांजा बेचकर अवैध रुप से आर्थिक व भौतिक लाभ अर्जित करने वाले वाले शातिर अपराधी **सोभित उर्फ चवन्नी पुत्र चन्द्रपाल निवासी शताब्दीपुरम थाना कविनगर जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष** को ननकागढी तिराहा आकाश नगर से 1 किलो 300 ग्राम गांजा सहित समय करीब 11.10 बजे गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना मसूरी पर मु0अ0सं0 567/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट बनाम सोभित उर्फ चवन्नी उपरोक्त पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता अभियुक्त-

सोभित उर्फ चवन्नी पुत्र चन्द्रपाल निवासी शताब्दीपुरम थाना कविनगर जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष

बरामदगी का विवरणः-

(1) 1 किलो 300 ग्राम गांजा।

पंजीकृत अभियोग अपराधिक इतिहास अभियुक्त जुनैद –

1-मु0अ0सं0 567/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद।

गिरफ्तारी / पर्यवेक्षण करने वाली टीम –

(1) उ0नि0 श्री शिवमंगल सिंह
(2) उ0नि0 अमित कुमार
(3) 1334 लौकेन्द्र सिंह
(4) का0 233 अनुज सोलंकी

दिनांक-02/08/022 थाना सिहानीगेट (गाजियाबाद)

बलात्कार के मामले में वांछित चल रहा एक नफर अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद के आदेशानुसार महिला संबंधी अपराधो में वांछित चल रहे अपराधियों की धरपकड हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर श्री निपुण अग्रवाल के दिशा निर्देशन मे तथा क्षेत्राधिकारी सिहानीगेट श्रीमति आलोक दूबे के कुशल पर्यवेक्षण व प्रभारी निरीक्षक श्री नरेश कुमार शर्मा द्वारा के कुशल पर्यवेक्षण मे पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर थाना सिहानीगेट के मु0अ0स0 1178/19 धारा 376/354/511/120बी/506 भादवि में अभियुक्त विवेक सक्सेना को दिनांक 1/8/22 समय 10.45 बजे रात्रि जनपद गौतमबुद्धनगर के द गोल्डन पॉम सोसाइटी सेक्टर 168 नोएडा से गिरफ्तार किया गया ।

पंजीकृत अभियोग का विवरणः-

वादिया द्वारा दिनांक 26/07/2019 को थाना हाजा पर तहरीर देकर अभि0 विवेक सक्सैना द्वारा वादिया के साथ छेडखानी तथा बलात्कार का प्रयास करना व जान से मारने की धमकी देने के संबंध में मु0अ0सं0 1178/19 धारा 376/354/511/120बी/506 भादवि पंजीकृत कराया था। जिसमे अभि0 विवेक सक्सैना बादस्तूर फरार चल रहा था। जिसे मुखबिर की सूचना पर दिनांक 1/8/22 समय 10.45 बजे रात्रि में पुलिस टीम द्वारा जनपद गौतमबुद्धनगर के द गोल्डन पॉम सोसाइटी सेक्टर 168 नोएडा से गिरफ्तार किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

विवेक सक्सैना पुत्र राकेश कुमार नि0 पी 1701 लाजिक ब्लास्म काउन्टी सैक्टर -137 नोएडा , स्थायी पता- 55 हरदीप एन्कलेब थाना सिकन्दरा आगरा उम्र करीब 42 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1 उ0नि0 श्री राजकुमार सिंह थाना सिहानी गेट

2.का0 2755 सुमित कुमार थाना सिहानी गेट

3.का0 1546 रोहित कुमार थाना सिहानी गेट

आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 1178/19 धारा धारा 376/354/511/120बी/506 भादवि थाना सिहानीगेट गा0बाद

थाना कविनगर पुलिस द्वारा अवैध अस्लाह रखने वाले दो अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया कब्जे से 02 अदद चाकू नाजायज बरामद

श्रीमान पुलिस वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद द्वारा अवैध अस्लाह रखने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर प्रथम, श्रीमान क्षेत्राधिकारी कविनगर के कुशल निर्देशन में थाना कविनगर पुलिस द्वारा दिनांक 02.08.2022 को समय 12.30 बजे अभियुक्तगण (1) अनुज सोनी पुत्र बुद्ध लाल सोनी निवासी ग्राम लखना थाना बकेवर जिला इटावा (2) मोहित जाटव पुत्र चरण सिहं निवासी ग्राम गिरधरपुर थाना बादलपुर जिला गौतमबुद्धनगर को चैकिंग के दौरान ग्रीन बैल्ट एक ब्लाक शास्त्रीनगर थाना कविनगर क्षेत्र से मय दो अदद चाकू

नाजायाज के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण से बरामद नाजायज छुरे के सम्बन्ध मे थाना हाजा पर मु0अ0सं0 1008/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम अनुज सोनी व मु0अ0सं0 1009/2022 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

<u>अपराध कारित करने का तरीकाः-</u>

अभियुक्तगण जनता में अपना रोब जमाने के लिए अपने पास अवैध शस्त्र रखते है।

<u>नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त -</u>

1. अनुज सोनी पुत्र बुद्ध लाल सोनी निवासी ग्राम लखना थाना बकेवर जिला इटावा उम्र करीब 28 वर्ष
2. मोहित जाटव पुत्र चरण सिहं निवासी ग्राम गिरधरपुर थाना बादलपुर जिला गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 26 वर्ष

<u>बरामदगी का विवरण -</u>

02 अदद चाकू नाजायज ।

<u>अभियुक्त अनुज सोनी का आपराधित इतिहास-</u>

1- मु0अ0सं0 1008/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कविनगर गाजियाबाद।

अभियुक्त के अन्य आपराधिक इतिहास का जानकारी की जा रही है ।

<u>अभियुक्त मोहित जाटव का आपराधित इतिहास-</u>

1. मु0अ0स0 1009/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कविनगर गाजियाबाद।
2. मु0अ0सं0 85/22 धारा 379 भादवि थाना बादलपुर जनपद गौतमबुद्ध नगर।
   अभियुक्त के अन्य आपराधिक इतिहास का जानकारी की जा रही है।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

3. उ0नि0 श्री शशी कुमार थाना कविनगर गाजियाबाद।
4. का0 3852 शिवम कुमार थाना कविनगर गाजियाबाद।
5. का0 3853 सौरभ कुमार थाना कविनगर गाजियाबाद।

<u>थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा एक नफर अभियुक्त गिरफ्तार, जिसके कब्जे से देशी नाजायाज 56 पव्वे शराब कैश संतरा हरियाणा मार्का नाजायज बरामद होना</u>

दिनांक 02.08.2022

कार्यवाहीः- जनपद गाजियाबाद में अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, महोदय के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री अरविन्द पाठक की टीम द्वारा दिनांक -02.08.2022 को दौराने चैकिंग समय 11.35 बजे रामपार्क एक्स0 बिजली घर के पीछे खाली प्लाट से चौकी रामपार्क से एक नफर अभि0 दीपक पुत्र राजबीर सिंह नि0 पूजा कालोनी बुद्ध विहार थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र 24 वर्ष जिसके कब्जे से 56 पव्वे देशी नाजायाज शराब कैश संतरा हरियाणा मार्का बरामद होना।

नाम पता अभियुक्त

दीपक पुत्र राजबीर सिंह नि0 पूजा कालोनी कालोनी बुद्ध विहार थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र 24 वर्ष

आपराधिक इतिहास

1.मु0अ0स0-410/22 धारा 60/63 आबकारी अधि0 थाना ट्रोनिका सिटी

2.मु0अ0सं0 787/21 धारा 60/63 आबकारी अधि0 थाना ट्रोनिका सिटी

3.मु0अ0सं0 557/20 धारा 60/63 आबकारी अधि0 थाना ट्रोनिका सिटी

अपराध करने का तरीका-

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैं दिल्ली ,हरियाणा से सस्ते दामों में देशी नाजायाज शराब खरीदकर यूपी/एनसीआर क्षेत्र में सस्ते दामों बेचकर अपने शौक पूरे करता हूँ।

गिरफ्तार एंव बरामदगी करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री कृष्ण कुमार

2.का0 724 रामनरेश

बरामदगी का विवरण-

1. 56 पव्वे देशी नाजायाज शराब कैश संतरा हरियाणा मार्का बरामद।

थाना विजयनगर पुलिस द्वारा 01 शातिर वाहन चोर को मय चोरी की एक अदद कार व 01 अदद चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री मुनिराज जी द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आदेशानुसार पुलिस अधीक्षक नगर प्रथम एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के कुशल पर्यवेक्षण एवं निर्देशन में तथा प्रभारी निरीक्षक विजयनगर के कुशल नेतृत्व में थाना विजय नगर पुलिस को अभियान के दौरान उस समय महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई जब थाना विजयनगर के प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में **पुलिस पार्टी द्वारा दिनांक 02.08.2022 को चैकिंग के दौरान करीब 11:00 बजे 02 शातिर वाहन चोर अभि0 खालिद पुत्र फकरुद्दीन**

नि0 मवी मीरा थाना दौराला मेरठ उम्र 32 वर्ष को माधौंपुरा कट आर्मी गाउण्ड थाना विजयनगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से चोरी की एक अदद कार व 01 अदद चाकू बरामद किये गये। अभि0 थाना विजय नगर के मु0अ0सं0 0076/2022 धारा 379/411/420/414/382 भादवि में भी वाँछित चल रहा था।

गिरफ्तार किये गये अभियुक्त गण का नाम व पता

1. **खालिद पुत्र फकरुद्दीन नि0 मवी मीरा थाना दौराला मेरठ उम्र 32 वर्ष**

गिरफ्तारी का स्थान , दिनांक व समय

दिनांक व समय :- 02.08.2022 समय 11:00 बजे

स्थान :- माधौंपुरा कट आर्मी गाउण्ड थाना विजयनगर

बरामदगी का विवरण

1. एक अदद कार रजि0 नं0 DL12 CL6797 , चैचिस न0 MA3NYFVISHE237302
   सम्बन्धित मु0अ0सं0 0954/2022 धारा 411/414 भादवि
2. एक अदद चाकू नाजायज
   सम्बन्धित मु0अ0सं0 0955/2022 धारा 4/25 ए एक्ट

गिरफ्तार अभि0 का आपराधिक इतिहास

- **मु0अ0सं0 0076/2022 धारा 379/411/420/414/382 भादवि**
- **मु0अ0सं0 0954/2022 धारा 411/414 भादवि**
- **मु0अ0सं0 0955/2022 धारा 4/25 ए एक्ट**

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. प्र0नि0 श्री योगेन्द्र मलिक
2. उ0नि0 श्री ओमप्रकाश बघेल
3. है0का0707 नीरज राठी
4. का02711 सन्दीप कुमार
5. का02904 रोविन मलिक

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा 02 नफर अभियुक्तगण गिरफ्तार , जिनके कब्जे से एक अदद मोटर साईकिल के मय फर्जी नम्बर प्लेट लगी DL5SCA2879 बरामद

....

दिनांक- 02.08.2022

कार्यवाही- जनपद गाजियाबाद में अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय के निर्देशन एंव श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निकट पर्यवेक्षण तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम महोदया के कुशल नैतृत्व में प्रभारी निरीक्षक श्री अमित कुमार खारी की टीम द्वारा दिनांकः 02.08.2022 को उ0नि0 श्री दिनेश पाल सिंह एवं उनके हमराह पुलिस बल द्वारा दौराने संदिग्ध व्यक्तिवाहन चैकिग के 02 नफर अभियुक्तगण 1. **मोईन खाँ पुत्र ताहीर खान 2. चाँद खाँ पुत्र रहीश खाँ को** गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से चोरी की गयी मोटर साइकिल मय फर्जी नम्बर प्लेट के गिरफ्तार किया गया। फर्द बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध मु0अ0सं0-311/2022 धारा 414/414/482 भादवि0 थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद पंजीकृत किया गया, पकडे गये अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा।

अपराध कारित करने का तरीका/पूछतांछ का विवरणः-

पकडे गये अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि हम लोग भीड भाड वाली जगह व मैन बाजार मे खडी मोटर साईकिल को मौका पाकर मोटर साईकिल चोरी करके उन पर फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर सस्ते दामो मे तथा कबाडी मे बेचकर मुनाफा कमाते है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

(1) मोईन खाँ पुत्र ताहीर खान निवासी ग्राम अमरपुर थाना खानपुर जिला बुलन्दशहर उम्र करीब 23 वर्ष व

(2)- चाँद खाँ पुत्र रहीश खाँ निवासी ग्राम वसी थाना नरसेना जिला बुलन्दशहर उम्र करीब 22 वर्ष

<u>आपराधिक इतिहास अभियुक्तगण उपरोक्त</u>

1. **मु0अ0सं0-311/2022 धारा 414/414/482 भादवि0 थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद।**

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

(1) **फर्जी नम्बर प्लेट लगी मोटर साइकिल न0 DL5SCA2879 (सम्वन्धित ईएफआईआर न0- 023533 क्राइम ब्रान्च दिल्ली सही रजिस्ट्रेशन नम्बर DL5SAW1107)**

<u>गिरफ्तार एंव बरामदगी करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1. **प्रभारी निरीक्षक श्री अमित कुमार खारी थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद।**
2. **उ0नि0 श्री दिनेश पाल सिंह थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद।**
3. **है 0का0 131 महेश कुमारथाना कोतवाली नगर गाजियाबाद।**

<u>थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा दिल्ली एनसीआर हाईवे पर वाहनो के चालको से टप्पेबाजी कर रूपये एवं कीमती सामान आदि को चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश</u>

-

दिनांक 02.08.2022

<u>कार्यवाहीः-</u> *जनपद गाजियाबाद में अपराध एवं अपराधियो के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय के निर्देशन एंव श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय महोदय के निकट पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ महोदय के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक थाना साहिबाबाद की टीम द्वारा दिनांकः 02.08.2022 को राजेन्द्र नगर गोल चक्कर, मोहन नगर चौराहे के पास से दिल्ली एनसीआर हाईवे पर वाहनो के चालको से टप्पेबाजी कर रूपये एवं कीमती सामान आदि को चोरी कर लेने वाले गिरोह के चार अभि0 सागर उर्फ साजन उर्फ सूरज पुत्र श्री मरिगा निवासी 225 नियर मद्रासी मंदिर मदनगीर थाना अम्बेडकर नगर दिल्ली 2. रौनक पुत्र श्री जगदीश निवासी उपरोक्त 3. पवन गुप्ता पुत्र श्री जगदीश गुप्ता निवासी ए 17 सैंटर मार्केट मदनगीर थाना अम्बेडकर नगर दिल्ली 4. श्रीमती अंजलि पत्नी श्री विशाल निवासी 225 नियर मद्रासी मंदिर मदनगीर थाना अम्बेडकर नगर दिल्ली को 32.6 ग्राम पीली धातु, 08 हजार रूपये नकद, एक अदद चोरी की गयी मो0सा0, 315 ग्राम नशीला एल्प्राजोलम पाउडर सहित गिरफतार किया गया है।*

<u>घटना एवं घटना का अनावरणः—</u> *दिनांक 08.07.2022 को समय लगभग 12:00 बजे दिन अर्थला पैट्रोल पम्प पर नेहरू नगर थाना क्षेत्र सिहानीगेट के निवासी एक ज्वैलर्स की गाडी से 02 अज्ञात सफेद बाइक सवार युवको ने ज्वैलर्स की गाडी पर तेल डालकर गाडी देख लेने का बहाना बनाकर गाडी में रखी सात लाख की ज्वैलरी चोरी कर ली थी । जिस सम्बंध में ज्वैलर्स द्वारा थाना साहिबाबाद पर अपराध संख्या 1047/2022 धारा 420,379 भादवि पंजीकृत कराया गया था ।*

प्रभारी निरीक्षक द्वारा टीम गठित कर घटना की फुटेज, सर्विलांस एवं मुखबिरान की मदद से आज दिनांक 02.08.2022 को मदनगिर दिल्ली के रहने वाले तीन मद्रासी लोगो को सुनान के साथ गिरफतार करने में पुलिस को सफलता प्राप्त हुई ।

<u>अपराध कारित करने का तरीकाः-</u>

अभियुक्तो से की गयी पूछताछ से बताया कि हम लोग दिल्ली एनसीआर के हाईवों पर खडे हो जाते है तथा आने जाने वाले बडी कारो का इंतजार करते है, वाहन चालक के इंजन, शीशे पर गंदी चीज फेक जैसे काला

तेल डालकर तथा गाडी पंचर है, आपका कोई सामान पीछे गिर गया है, ऐसा बताकर भ्रमित करके उनकी गाडी में पिछली सीट रखा कीमती सामान चोरी कर लेते है। और आपस में बांट लेते है। हमारा पूरा गिरोह स्मैक का आदी है । जिसके कारण हम यह अपराध लगातार करके अपनी खुराक की पूर्ति करते है। हमारा पूरा गैंग मदनगीर थाना अम्बेडकर नगर दिल्ली में रहता है। हम लोग पूरे एनसीआर क्षेत्र में इस तरह की घटना को अंजाम देते है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1. सागर उर्फ साजन उर्फ सूरज पुत्र श्री मरिगा निवासी 225 नियर मद्रासी मंदिर मदनगीर थाना अम्बेडकर नगर दिल्ली उम्र 23 वर्ष
2. रौनक पुत्र श्री जगदीश निवासी उपरोक्त उम्र 23 वर्ष
3. पवन गुप्ता पुत्र श्री जगदीश गुप्ता निवासी ए 17 सैंटर मार्केट मदनगीर थाना अम्बेडकर नगर दिल्ली उम्र 42 वर्ष
4. श्रीमती अंजलि पत्नी श्री विशाल निवासी 225 नियर मद्रासी मंदिर मदनगीर थाना अम्बेडकर नगर दिल्ली उम्र 24 वर्ष

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास

1. अभियुक्त सागर उर्फ साजन उर्फ सूरज

अपराध संख्याः 1204/2022 धारा 411,414 भादवि थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद ।
अपराध संख्याः 0377/2021 धारा 379 भादवि थाना साहिबाबाद गाजियाबाद ।
अपराध संख्याः 1047/2022 धारा 379,420 भादवि थाना साहिबाबाद गाजियाबाद ।
अपराध संख्याः 1205/2022 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना साहिबाबाद गाजियाबाद ।
अपराध संख्याः 1206/2022 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना साहिबाबाद गाजियाबाद ।
अपराध संख्याः 0351/2022 धारा 379 भादवि थाना मोदीनगर गाजियाबाद ।
अपराध संख्याः 0363/2022 धारा 379 भादवि थाना मोदीनगर गाजियाबाद ।
अपराध संख्याः 0260/2022 धारा 379 भादवि थाना शामली जनपद शामली।
अपराध संख्याः 0384/2022 धारा 379 भादवि थाना सैक्टर 39 नोएडा ।
अपराध संख्याः 0334/2022 धारा 379 भादवि थाना फैस 01 जनपद नोएडा ।
अपराध संख्याः 0237/2022 धारा 379 भादवि थाना सैक्टर 63 नोएडा ।
अपराध संख्याः 0304/2022 धारा 379 भादवि थाना टीपी नगर जनपद मेरठ।
अपराध संख्याः 0340/2022 धारा 379 भादवि थाना टीपी नगर जनपद मेरठ।
अपराध संख्याः 0339/2022 धारा 379 भादवि थाना टीपी नगर जनपद मेरठ।
अपराध संख्याः 0150/2022 धारा 379 भादवि थाना परतापुर जनपद मेरठ।
अपराध संख्याः 0245/2022 धारा 379 भादवि थाना परतापुर जनपद मेरठ।
अपराध संख्याः 0246/2022 धारा 379 भादवि थाना परतापुर जनपद मेरठ।

2. अभियुक्त रौनक

अपराध संख्याः 1204/2022 धारा 411,414 भादवि थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद ।
अपराध संख्याः 0377/2021 धारा 379 भादवि थाना साहिबाबाद गाजियाबाद ।
अपराध संख्याः 1047/2022 धारा 379,420 भादवि थाना साहिबाबाद गाजियाबाद ।
अपराध संख्याः 1205/2022 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना साहिबाबाद गाजियाबाद ।
अपराध संख्याः 1206/2022 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना साहिबाबाद गाजियाबाद ।
अपराध संख्याः 0351/2022 धारा 379 भादवि थाना मोदीनगर गाजियाबाद ।
अपराध संख्याः 0363/2022 धारा 379 भादवि थाना मोदीनगर गाजियाबाद ।
अपराध संख्याः 0260/2022 धारा 379 भादवि थाना शामली जनपद शामली।
अपराध संख्याः 0384/2022 धारा 379 भादवि थाना सैक्टर 39 नोएडा ।
अपराध संख्याः 0334/2022 धारा 379 भादवि थाना फैस 01 जनपद नोएडा ।
अपराध संख्याः 0237/2022 धारा 379 भादवि थाना सैक्टर 63 नोएडा ।

अपराध संख्याः 0304/2022 धारा 379 भादवि थाना टीपी नगर जनपद मेरठ।
अपराध संख्याः 0340/2022 धारा 379 भादवि थाना टीपी नगर जनपद मेरठ।
अपराध संख्याः 0339/2022 धारा 379 भादवि थाना टीपी नगर जनपद मेरठ।
अपराध संख्याः 0150/2022 धारा 379 भादवि थाना परतापुर जनपद मेरठ।
अपराध संख्याः 0245/2022 धारा 379 भादवि थाना परतापुर जनपद मेरठ।
अपराध संख्याः 0246/2022 धारा 379 भादवि थाना परतापुर जनपद मेरठ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

उ0नि0 श्री सुमित कुमार
उ0नि0 श्री विपिन कुमार चौधरी
है0कां0 1046 मनोज तालान
है0कां0 1266 विपिन चौधरी
कां0 280 मंजीत
कां0 3359 अविनाश
कां0 2461 सुनील कुमार
म0कां0 1203 मीनाक्षी

बरामदगी का विवरण

32.6 ग्राम पीली धातु
08 हजार रूपये नकद
एक अदद चोरी की गयी मो0सा0
315 ग्राम नशीला एल्प्राजोलम पाउडर

प्रेस नोट

दिनांक- 29-7-22 थाना नन्दग्राम जनपद गाजियाबाद।

थाना नन्दग्राम पुलिस द्वारा दिनांक 29-7-22 को थाना क्षेत्र मे 02 शातिर अभियुक्तगण को मय अवैध देशी शराब के 65 पव्वे (शोकीन संतरा मसालेदार देशी शराब चण्डीगढ़ मार्का)

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराधियों की धरपकड हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन व श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय महोदय के सफल पर्यवेक्षण मे प्रभारी निरीक्षक थाना नन्दग्राम मुनेन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व में चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना थाना नन्दग्राम क्षेत्र मे दि0 29-7-22 को चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर 02 अभि0गण 1. सुरेन्द्र पुत्र नंगा नि0 ग्राम कुरका थाना इमलिया सुल्तानपुर जनपद सीतापुर उम्र 28 वर्ष 2. संतकुमार पुत्र जयपाल नि0 ग्राम कुरका थाना इमलिया सुल्तानपुर जनपद सीतापुर उम्र 20 वर्ष को मय क्रमशः 35 व 26 पव्वे देशी शराबशोकीन संतरा मसालेदार देशी शराब चण्डीगढ़ मार्का जिसपर अंग्रेजी में For Sale in chandigarh लिखा है के सहित रोटरी गोल चक्कर से 50 कदम की दूरी पर मोहननगर करहेडा रोड, के पास से किया गया गिरफ्तार।

बरामदगी का विवरणः-

1 35 अदद पव्वे नाजायज देशी शराब अभि0 सुरेन्द्र से
2 30 अदद पव्वे नाजायज देशी शराब अभि0 संत कुमार से

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

(1) सुरेन्द्र पुत्र नंगा नि0 ग्राम कुरका थाना इमलिया सुल्तानपुर जनपद सीतापुर उम्र 28 वर्ष
(2) संतकुमार पुत्र जयपाल नि0 ग्राम कुरका थाना इमलिया सुल्तानपुर जनपद सीतापुर उम्र 20 वर्ष

अभि0गण का आपराधिक इतिहास-

1 मु0अ0सं0 733/22धारा 60/63 आब0 अधि0 बनाम सुरेन्द्र
2 मु0अ0सं0 734/22 धारा 60/63 आब0 अधि0 बनाम संतकुमार

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्र0नि0 श्री मुन्नेद्र सिंह थाना नन्दग्राम
2. उ0नि0 श्री सूरजभान सिंह

थाना लोनी पुलिस द्वारा एक अभियुक्त मय 01 अदद नाजायज चाकू सहित गिरफ्तार

श्री मुनिराज जी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद द्वारा अपराध की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण गा0बाद एवं क्षेत्राधिकारी लोनी के निर्देशन में थाना लोनी पुलिस द्वारा एक अभियुक्त नदीम पुत्र मंजूर अहमद निवासी अब्दुल रहीम मस्जिद के पास मुस्तफाबाद थाना लोनी गाजियाबाद को 01 अदद नाजायज चाकू के साथ अमन गार्डन कट के पास हल्का चौकी कस्बा से दिनांक 01.08.2022 समय करीब 19.30 बजे गिरफ्तार किया गया। आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त -

नदीम पुत्र मंजूर अहमद निवासी अब्दुल रहीम मस्जिद के पास मुस्तफाबाद थाना लोनी गाजियाबाद

अभियुक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग का विवरण:

मु0अ0सं0-881/2022 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना लोनी गा0बाद

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1.SHO श्री अजय चौधरी थाना लोनी गा0बाद
2.उ0नि0 नरेन्द्र कुमार चौकी प्रभारी कस्बा थाना लोनी गा0बाद
3. है0का0-961ऋषिपाल सिंह
4. का0 2339 नसीम अहमद

बरामदगी का विवरणः-

एक अदद चाकू नाजायज।

थाना लोनी पुलिस द्वारा अवैध शराब की बिक्री करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे 48 पव्वे देशी शराब हरियामाणा मार्का बरामद।

श्री मुनिराज जी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद द्वारा अवैध शराब की बिक्री करने वालों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण गाजियाबाद एवं क्षेत्राधिकारी लोनी के निर्देशन में थाना लोनी पुलिस द्वारा एक अभियुक्त महरबान पुत्र इदा खान निवासी सुल्तान मस्जिद के पास मुस्तफाबाद थाना लोनी गाजियाबाद को 48 पव्वा देशी शराब असली संतरा हरियाणा मार्का सहित बंद फाटक के पास चौकी क्षेत्र रूप नगर से दिनांक 01.08.2022 समय करीब 21.10 बजे में गिरफ्तार किया गया। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

महरबान पुत्र इदा खान निवासी सुल्तान मस्जिद के पास मुस्तफाबाद थाना लोनी गाजियाबाद।

अभियोग का विवरणः-

मु0अ0सं0 882/2022 धारा 60/63 आबकारी अधि0 थाना लोनी गाजियाबाद।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1. SHO श्री अजय चौधरी थाना लोनी जनपद गाजियाबाद
2. उ0नि0 श्री अखिलेश उपाध्याय चौकी प्रभारी रूपनगर थाना लोनी गा0बाद
3. है0का0 1391 पंकज सिंह
4. रि0का0 1278 राजकुमार

बरामदगी का विवरणः-

48 पव्वे देशी शराब असली संतरी हरियाणा मार्का ।

थाना लोनी पुलिस द्वारा नशे का कारोबार व सट्टे की खाई वाडी करने वाला 01 अभियुक्त मय 125 ग्राम एल्प्राजोलम पाउडर, पर्चा सट्टा, पाकेट डायरी पेन के साथ गिरफ्तार

श्री मुनिराज जी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय द्वारा नशे का कारोबार व सट्टे की खाई वाडी करने वालो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण गा0बाद एवं क्षेत्राधिकारी लोनी महोदय के निर्देशन में थाना लोनी पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नशे का कारोबार करने वाले शातिर किस्म के अभियुक्त आबिद उर्फ अन्ना पुत्र शहीद निवासी टावर वाली गली मुस्तफाबाद निसार मैम्बर वाली गली मुस्तफाबाद थाना लोनी गाजियाबाद **को मय 125 ग्राम एल्प्राजोलम पाउडर व सट्टा पर्ची, एक पाकेट डायरी पेन व 190 रुपये के साथ हाजी बाडे का खेत मुस्तफाबाद चौकी क्षेत्र कस्बा से दिनांक 02.08.2022 समय करीब 09.30 बजे गिरफ्तार किया गया। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त व आपराधिक इतिहास –

आबिद उर्फ अन्ना पुत्र शहीद निवासी टावर वाली गली मुस्तफाबाद निसार मैम्बर वाली गली मुस्तफाबाद थाना लोनी गाजियाबाद

मु0अ0सं0 885/22 धारा 13 G ACT थाना लोनी गा0बाद

मु0अ0सं0 886/21 धारा 8/22 NDPS ACT थाना लोनी गा0बाद

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1.SHO श्री अजय चौधरी थाना लोनी गा0बाद

2.उ0नि0 नरेन्द्र कुमार चौकी प्रभारी कस्बा थाना लोनी गा0बाद

3.उ0नि0 यूटी अमित कुमार चौहान

4.का0 है0का0 921 ओमकार सिंह

5.का0 3047 सुनील कुमार

बरामदगी का विवरणः-

125 ग्राम एल्प्राजोलम पाउडर, सट्टा पर्ची, एक पाकेट डायरी पेन व 190 रुपये।

थाना लोनी पुलिस द्वारा फोन चोरी करने वाले 03 नफर अभियुक्त मय एक चोरी के मोबाइल फोन व 02 अदद नाजायज चाकू सहित गिरफ्तार

श्री मुनिराज जी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद द्वारा अपराध की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण गा0बाद एवं क्षेत्राधिकारी लोनी के निर्देशन में थाना लोनी पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए 03 नफर अभियुक्त गण 1. इकलाख उर्फ अखलाख पुत्र नूरमौहम्मद निवासी मूल पता गांव अबूपुर थाना मुररादनगर जिला गाजियाबाद हाल पता म0 नं0 24 गली न0 1 सबौली खड्डा थाना हर्ष बिहार दिल्ली 2. समीर उर्फ डब्बू पुत्र यासीन निवासी तीस फुटा रोड दरी फैक्ट्री चांद मस्जिद के पास मुस्तफाबाद थाना लोनी गाजियाबाद

3. विनोद पुत्र मानसिंह निवासी ग्राम बरगेन थाना दरियाबगंज जिला एटा हाल निवासी तीस फुटा रोड दरी फैक्ट्री चांद मस्जिद के पास मुस्तफाबाद थाना लोनी गाजियाबाद को सेवा धाम लोनी बार्डर घर से चोरी किया हुआ एक मोबाईल फोन सैमसंग रंग काला IMEI NO. 350612222497008/01 (2) 356050532497000/01 व दो अदद नाजायज चाकू सहित राशिद अली गेट चौकी लोनी तिराहा से दिनांक 02.08.2022 समय करीब 10.00 बजे गिरफ्तार किया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त गण एवं आपराधिक इतिहास -

1.इकलाख उर्फ अखलाख पुत्र नूरमौहम्मद निवासी मूल पता गांव अबूपुर थाना मुररादनगर जिला गाजियाबाद हाल पता म0 नं0 24 गली न0 1 सबौली खड्डा थाना हर्ष बिहार दिल्ली

मु0अ0सं0 887/22 धारा 414 भादवि थाना लोनी गा0बाद।

2. ***समीर उर्फ डब्बू पुत्र यासीन निवासी तीस फुटा रोड दरी फैक्ट्री चांद मस्जिद के पास मुस्तफाबाद थाना लोनी गाजियाबाद***

मु0अ0सं0 887/22 धारा 414 भादवि थाना लोनी गा0बाद

मु0अ0सं0 888/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना लोनी गा0बाद

3. विनोद पुत्र मानसिंह निवासी ग्राम बरगेन थाना दरियाबगंज जिला एटा हाल निवासी तीस फुटा रोड दरी फैक्ट्री चांद मस्जिद के पास मुस्तफाबाद थाना लोनी गाजियाबाद

मु0अ0सं0 887/22 धारा 414 भादवि थाना लोनी गा0बाद

मु0अ0सं0 889/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना लोनी गा0बाद

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1.SHO श्री अजय चौधरी थाना लोनी गाजियाबाद

2 .उप निरी0 अमित कुमार चौकी प्रभारी लोनी तिराहा थाना लोनी गाजियाबाद

3.का0 2262 दिनेश

4.का0 543 संजय

5. का0 2506 नीरज भाटी

बरामदगीः-

एक चोरी का मोबाईल फोन ***सैमसंग रंग काला IMEI नं0 350612222497008/01 (2) 356050532497000/01 व दो अदद नाजायज चाकू बरामद।***

थाना लोनी पुलिस द्वारा 02 वांछित अपराधी गिरफ्तार।

दिनांक 02.08.2022 अबरार अहमद पुत्र नूर अहमद निवासी अल्वी नगर लोनी गाजियाबाद द्वारा थाना लोनी पर सूचना दी गई थी कि शफीक, मल्लू व आरिफ द्वारा वादी के पुत्र नाजिम अहमद को चाकुओ से वार कर गम्भीर रुप से घालय दिया जिसकी जीटीबी अस्पताल दिल्ली मे उपचार के दौरान मृत्यू हो गयी है। इस सूचना पर तत्काल मु0अ0सं0 883/22 धारा 304 भादवि थाना लोनी गा0बाद पर दर्ज किया गया। श्री मुनिराज जी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद के निर्देशानुसार श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण द्वारा क्षेत्राधिकारी लोनी के निर्देशन में अभियुक्त गण की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की गई अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए थाना लोनी पुलिस द्वारा 24 घण्टे के अन्दर दो वांछित अभियुक्तगण सफीक पुत्र मुसीबल उर्फ गोसबाबू नि0 विकास कुन्ज मौहम्मद मस्जिद के पास चमन विहार थाना लोनी गा0बाद मूल निवासी गाँव

मैसापुर थाना चौपुरा जिला सिलीगुढी पश्चिम बंगाल व मल्लू पुत्र इलियास निवासी गाँव डांगी बस्ती थाना किशनगंज विहार हाल पता सोनू विहार डीएलएफ लोनी गा0बाद को डीएलएफ पुश्ता कट चौकी क्षेत्र डीएलएफ से दिनांक 02.08.2022 समय 10.05 बजे से गिरफ्तार किया गया है। आवश्यक कार्यावही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त -

1.सफीक पुत्र मुसीबल उर्फ गोसबाबू नि0 विकास कुन्ज मौहम्मद मस्जिद के पास चमन विहार थाना लोनी गा0बाद मूल निवासी गाँव मैसापुर थाना चौपुरा जिला सिलीगुढी पश्चिम बंगाल

2. मल्लू पुत्र इलियास निवासी गाँव डांगी बस्ती थाना किशनगंज विहार हाल पता सोनू विहार डीएलएफ लोनी गा0बाद

मु0अ0सं0- मु0अ0सं0 883/2022 धारा 304 भादवि थाना लोनी जनपद गाजियाबाद

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1.SHO श्री अजय चौधरी थाना लोनी गाजियाबाद

2.उ0नि0 सचिन कुमार चौकी डीएलएफ लोनी गाजियाबाद

2. उ0नि0 यूटी ललित कुमार

3.है0का0 858 बिजेन्द्र सिंह

4.का0 2909 नितिन कुमार